**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2936**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**एनएसजी और सीआईएसएफ द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंध करना**

**2936. श्रीमती विजिला सत्यानंतः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए केवल एनएसजी और सीआईएसएफ को नियुक्त करने का निर्णय लिया है;**

**(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा कार्य से सीआरपीएफ और आईटीबीपी जैसे अर्द्ध-सैनिक बलों को भारमुक्त कर दिया है; और**

**(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा तथा आशा है कि वर्ष 2018 के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) से (ग): जी, हां। सी.आर.पी.एफ. तथा आई.टी.बी.पी. को उत्‍तरोत्‍तर व्‍यक्तिगत सुरक्षा कार्य से मुक्‍त करने तथा सी.आई.एस.एफ. और एन.एस.जी. को इस कार्य हेतु लगाने का निर्णय लिया गया है।

**\*\*\*\*\*\***